न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 29/15 GCMS NO 2015/00193

रामेश्वर पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र रामरतन जाति जोगी निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर (मृतक)
1/1. विष्णु कुमार
1/2. सतीश कुमार
1/3. मनोज कुमार
1/4. मुकेश कुमार पुत्रान घनश्याम जाति जोगी निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर
1/5. संतोषी पुत्री घनश्याम जाति जोगी निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर
2. राधेश्याम पुत्र रामरतन जाति जोगी निवासी उदई खुर्द (मृतक)
2/1. रामदयाल पुत्र राधेश्याम
2/2. ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम
2/3. भूरी बेवा राधेश्याम जाति जोगी निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर
2/4. लक्ष्मी पुत्री राधेश्याम पत्नि राकेश योगी निवासी जस्टाना तहसील बौली
2/5. सुशीला पुत्री राधेश्याम पत्नि राजू योगी निवासी जस्टाना तहसील बौली
2/6. कल्लो पुत्री राधेश्याम निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर
3. मोहनी पुत्र रामरतन जाति जोगी निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर
4. पूरण पुत्र रामरतन जाति जोगी निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर
5. चिरंजी पुत्र देवपाल जाति मीना निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर(मृतक)
5/1. ओमप्रकाश उर्फ रामचरण पुत्र चिरंजी निवासी इंडस्ट्रीएरिया डिबस्या रोड गोविन्दम पेट्रोल पम्प के सामने बाईपास गंगापुर सिटी
5/2. बृजमोहन पुत्र चिरंजी निवासी कल्याण बदलापुर आशाराम बापू आश्रम श्री कृष्ण ज्योति बिल्डिग ब्लाक बी क्यूटीआर नम्बर 201 मुम्बई
5/3. संतोष उर्फ लाला फौजी पुत्र चिरंजी निवासी उदई खुर्द तहसील वजीरपुर
5/4. जमनीलाल पुत्र चिरंजी निवासी अमनपुरा कालोनी जांगिड मंदिर के पास वार्ड न0 27 सालौदा मोड गंगापुर सिटी
5/5. बसन्ती बेवा चिरंजी निवासी अमनपुरा कालोनी जांगिड मंदिर के पास वार्ड न0 27 सालौदा मोड गंगापुर सिटी
5/6. कमल बाई पुत्र चिरंजी निवासी अमनपुरा कालोनी जांगिड मंदिर के पास वार्ड न0 27 सालौदा मोड गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 16/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.13 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा, श्री सतीश चंद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रविशंकर शर्मा

दिनांक 14.5.2026

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.13 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी रामरतन पुत्र शंकर ने दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी चिरंजी पुत्र देवपाल (अपील मे रेस्पो0 संख्या 5) के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि साबिक खसरा न0 1412 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा ग्राम उदई खुर्द वाली की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि सेटलमेंट के दौरान इसके नवीन न0 5268 रकबा 6 ऐयर, 5269 रकबा 20 ऐयर, 5271 रकबा 16 ऐयर कायम किये । इस प्रकार भू प्रबंध अधिकारियो ने वादी के साबिक रकबा 2 बीघा 5 विस्वा के 57 ऐयर के मुकाबले 42 ऐयर की खातेदारी प्रदान की गई। जो साबिक के मुकाबले 15 ऐयर कम थी। भू प्रबंध अधिकारियो को इस प्रकार वादी का रकबा कम करने का कोई अधिकार नही था। तहसील गंगापुर सिटी मे साबिक नक्शा ट्रेस उपलब्ध नही होने के कारण नक्शा एकीकरण की नकल ली गई इस प्रकार साबिक खसरा न0 1412 के एकीकरण से पूर्व के खसरा न0 4319 थे। नक्शा एकीकरण एवं हाल नक्शा शीट का मिलान करने से ज्ञात हुआ कि साबिक खसरा न0 1412 के नवीन खसरा न0 5270 और बना है। जिसकी खातेदारी भू प्रबंध अधिकारियो ने प्रतिवादी न0 1 को प्रदान कर दी। भू प्रबंध अधिकारियो द्वारा की गई इस गलती की जानकारी वादी को दिनांक 5.7.04 को उस समय हुई जब प्रतिवादी ने वादी को विवादग्रस्त आराजी को काश्त नही करने दिया और कहा कि यह आराजी मेरे खाते मे है। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि आराजी खसरा न0 5270 रकबा 9 ऐयर ग्राम उदई खुर्द वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जो साबिक खसरा न0 1412 का भाग है । यह भूमि प्रतिवादी की खातेदारी से हजफ की जाकर वादी की खातेदारी मे दर्ज की जावे एवं राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी की खातेदारी की भूमि खसरा न0 5270 रकबा 9 ऐयर ग्राम उदई खुर्द के कब्जे काश्त मे ना तो स्वयं किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट जो कि अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही था, इस कारण उनके द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह वादीगण एवं प्रतिवादी अर्थात रेस्पो0 द्वारा आपसी मिली भगत कर अपीलांट को नुकसान कारित करने की गरज से पारित करवाया है जो अपीलांट के विरूद्ध प्रारंभ से ही विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। वास्तविक तथ्य भूमि के सबंध मे यह है कि वाद मे वर्णित भूमि खसरा न0 5270 रकबा 9 ऐयर व अपीलांट तथा रेस्पो0 संख्या 5 चिरंजी के पैतृक खातेदारी की अन्य भूमि खसरा न0 5232,5242,5254,5255,5256,5270,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

5278,5280,5281,5250,5251,5252,5259,5260,5274,5275,428,5238,5239,5240,5241,5243,5257,5258,5277,427,3831,3827,5236,5237,4235,5234,5231,5230 ग्राम उदई खुर्द तहसील वजीरपुर के बाबत एक दावा उनवानी रामफूल बनाम चिरंजी वगै0 के नाम से उप जिला कलैक्टर गंगापुर सिटी मे चल रहा है। जिसमे एक प्रार्थना पत्र के आदेश के रिवीजन के लिए पत्रावली माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे चली गई तथा निर्णय होकर अभी वापिस नही लौटी है अर्थात दावा रामफूल बनाम चिरंजी अभी विचाराधीन है तथा उपरोक्त अपीलाधीन भूमि खसरा न0 5270 भी उक्त दावे मे विवादित है। जिसकी जानकारी रेस्पो0 को भॅली भॉति है क्योकि रेस्पो0 न0 5 द्वारा रेस्पो0 न0 1 ता 4 के साथ मिली भगत कर एक दावा गलत तथ्यो पर आधारित कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 पेश किया गया है तथा रेस्पो0 संख्या 5 द्वारा जानबूझकर एक तारीख पेशी पर हाजिर होकर अगली पेशी पर अपनी गैरहाजरी करवा दी क्योकि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 उक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 5 से जरिये विक्रय पत्र प्राप्त की परन्तु रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम नही करवा सकते थे क्योकि रेस्पो0 संख्या 5 मीना जाति अर्थात एस टी का व्यक्ति था तथा एस टी के नाम खातेदारी होने के कारण भूमि की रजिस्ट्री नही हो सकती थी इसलिए रेस्पो0 ने आपसी मिलीभगत कर अपीलांट को नुकसान पहुॅचाने की नियत से गुपचुप तरीके से बिना अपीलांट के पिता रामफूल पुत्र देवपाल को पक्षकार बनाये दावा डिक्री करवाया इसलिए निर्णय व डिक्री कानून विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त वाद की भूमि बाबत है कि अपीलांट व रेस्पो0 न0 5 के मध्य पूर्व से ही घोषणा खातेदारी इन्द्राज, दुरूस्ती , विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा विचाराधीन था इसलिए उपरोक्त प्रकरण मे रेस्पो0 न0 5 के साथ अपीलांट के पिता रामफूल पुत्र देवपाल व उनकी मृत्यु के वाद अपीलांट भी आवश्यक पक्षकार मुकदमा था जिसे वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा आपसी साजिश रचकर पक्षकार बनाये बिना ही दावा कर अपीलांट की गैर मौजूदगी मे दावा डिक्री करवाया गया इसलिए निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है तथा चूकि उपरोक्त वादी पत्र की भूमि मे अपीलांट के हक निहित थे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया इसलिए न्यायहित मे अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 व 5 द्वारा आपसी मिलीभगत कर करवाये गये निर्णय की अपीलांट को कभी कोई जानकारी नही रही । अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 12.3.15 को उस समय हुई जब वादीगण अर्थात रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक स्थाई निषेधाज्ञा का दावा उनवानी राधेश्याम वगै0 बनाम रामेश्वर वगै0 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी मे पेश किया तथा दिनांक 12.3.15 को वादीगण द्वारा दावे व टी आई की नकल अपीलांट को दी तब सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि वादीगण द्वारा अपीलांट के विरूद्व गलत तथ्यो का दावा पेश कर कब्जा लेने की गरज से झूठा दावा पेश किया है। जिसकी जानकारी अपीलांट द्वारा जब रेस्पो0 संख्या 5 चिरंजी से की तो उसने बताया कि मुझे किसी मुकदमे की जानकारी नही है इस पर अपीलांट द्वारा सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी मे पूर्व मे चले प्रकरण रामरतन बनाम चिरंजी की जानकारी की। उसमे हुए निर्णय की नकल लेने के लिए आवेदन किया नकल प्राप्त होने पर उसके अवलोकन से अपीलांट को रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विरूद्व की गई सम्पूर्ण साजिश व निर्णय की जानकारी हुई। इसलिए जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.13 मु0न0 16/13 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय से पूर्व की रेवेन्यू रिकार्ड की यथास्थिति बहाल करने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट अधिवक्ता का कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी एवं प्रतिवादी द्वारा मिली भगत कर दावा डिक्री करवाया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई मिली भगत नही रही है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात के बावत एक दावा उनवानी रामफूल बनाम चिरंजी मे एक प्रार्थना पत्र के विरूद्व रिवीजन माननीय मण्डल से निर्णित होकर वापिस नही लोटी है, अपीलांट का उक्त कथन साबित नही है क्योकि अपीलांट द्वारा इस सबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे अपीलांट का उक्त कथन साबित हो सके। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट के हक एंव अधिकार निहित है परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नही किया है कि किस प्रकार अपीलांट के हक एवं अधिकार आराजी खसरा न0 5270 मे निहित है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन मिथ्या है। अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात मे किसी प्रकार के हक एवं अधिकार निहित नही है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी को बेचान किया है। वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण द्वारा किसी प्रकार से बेचान नही किया है। वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट के किसी प्रकार के कोई हक एवं अधिकार निहित नही है इसके कारण उनको अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नही है। वादी को साबिक के मुकाबले कम भूमि सेटलमेंट द्वारा दिये जाने के कारण एवं वादी का 9 ऐयर रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के कारण वाद करना आवश्यक होने से वादी द्वारा विधिवत रूप से वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही वादी का वाद पत्र डिक्री किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट के किसी प्रकार के हक एवं अधिकार समाहित नही होने से धारा 96 सीपीसी के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नही होते है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन एवं धारा 96 सीपीसी के प्रावधानो के अन्तर्गत समाहित नही होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0 5270 की खातेदारी चिरंजी पुत्र देवपाल के नाम दर्ज थी तथा उक्त भूमि को लेकर अपीलांट के पिता रामफूल व चाचा चिरंजी के मध्य एक दावा घोषणा,विभाजन का विचाराधीन है। जिसमे भी आराजी खसरा न0 5270 विवादित है तथा उक्त खसरा न0 5270 चिरंजी के नाम दर्ज है। जिसमे स्वयं चिरंजी अधिनस्थ न्यायालय मे गैरहाजिर रहा है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय पारित कराने मे चिरंजी का सहयोग रहा है, इससे मौके पर कब्जा अपीलांट का प्रतीत होता है। क्योकि जैसे ही अपीलाधीन निर्णय पारित हुआ उसके उपरान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0 ने एक दावा राधेश्याम बनाम रामेश्वर के नाम से स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया अर्थात भूमि पर यदि चिरंजी काबिज होता तो वह अपीलाधीन निर्णय पारित होने से पूर्व प्रकरण मे प्रतिवाद करता इस प्रकार चिरंजी ने स्वयं को अनुपस्थित रखने से अपीलांट के कथनो की पुष्टि होती है कि भूमि पर अपीलांट का कब्जा है तथा अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को विना पक्षकार बनाये व सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिससे उसके अधिकार प्रभावित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे दावे मे पक्षकार नही होने के कारण अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नही हुई , रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे राधेश्याम वगै0 बनाम रामेश्वर वगै0 के नोटिस अपीलांट को मिलने पर हुई है, इस सवंध मे रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा भी कथन रहा कि हमने अपीलांट के विरूद्व दावा किया था अर्थात रेस्पो0 द्वारा कब्जाधारी अपीलांट को अपीलाधीन दावे मे पक्षकार नही बनाया तथा उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित होने के बाद उसके विरूद्व नया दावा पेश किया जिससे प्रमाणित है कि धारा 5 मे वर्णित तथ्य सही है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार स्वीकार योग्य है। जहॉ तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का प्रश्न है उक्त निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा विवादित भूमि खसरा न0 5270 ग्राम उदई खुर्द के बाबत दावा पेश किया तथा अपीलांट का भूमि पर कब्जा होने के बाबजूद केवल खातेदार चिरंजी को पक्षकार बनाया जबकि चिरंजी व उसके भाई रामफूल जो अपीलांट के पिता है के मध्य भूमि पर कब्जे को लेकर विभाजन का मुकदमा चल रहा है इसलिए उक्त प्रकरण मे अपीलांट को भी सुना जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देर्शो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि दावे मे अपीलांट को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए, तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 16/13 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.13 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को दावे मे आवश्यक पक्षकार बनाते हुए , प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 16.6.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर